न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(पी0सी0 बेरवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्याः 13/2015

दायर दिनांकः 17.04.2015

निर्णय दिनांक 19.04.2018

—:अनवानः—

श्री नरेन्द्रसिंह पिता श्री रघुवीरसिंह जी जाति चुण्डावत राजपूत आयु 50 वर्ष निवासी केलवा रोड आमेट, तहसील आमेट जिला राजसमन्द

अपीलांट

—:: बनाम ::—

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, आमेट जिला राजसमन्द

2 श्री कन्हैयालाल गुर्जर पिता श्री रामलाल गुर्जर निवासी महासिंह जी का खेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

3 श्री भूपेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह राव निवासी उमठी तहसील व जिला राजसमन्द

रेस्पोण्डेंटगण

अपील विरुद्ध आदेश नामान्तरण संख्या 2940 दिनांक 23.02.2015 पारित द्वारा तहसीलदार, आमेट जिला राजसमन्द से व्यथित होकर

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता

3— रेस्पोडेण्ट संख्या 02 अनुपस्थित

4— श्री भरत पालीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 03

अपीलांट ने तहसीलदार आमेट द्वारा दिनांकः 23.02.2015 को पारित किये गये आक्षेपित नामान्तरण संख्या 2940 से व्यथित होकर इस न्यायालय में यह नामान्तरण अपील दिनांकः 16.04.2015 को पेश की गयी हैं ।

अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स के पिता श्री रघुवीरसिंह के नाम पर ग्राम आमेट पटवार सर्कल आमेट, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आमेट तहसील आमेट व जिला राजसमंद में आराजी नम्बर 4399, 4400, 4401, 4403 से 4407 तक तथा 4410 से 4415 तक कुल किता—14 कुल रकबा 05.9700 हैक्टर के संबंध में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 03 के पक्ष मे विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किये गये नामान्तरण को उक्त अपील के माध्यम से चूनौति दी गयी है। जिसमें मुख्य आधार यह रहा है कि अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय सिविल जज आमेट में वाद प्रस्तुत कर रखा है उक्त वाद के संबंध में जिला न्यायाधीश राजसमन्द में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी जो बअनवान नरेन्द्रसिंह बनाम रघुवीरसिंह वगैराह के अनवान से अपील संख्या 10/2012 अपील मुदी स्वीकार करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त जायदाद को ताफैसला वाद तृतीय पक्षकार को अन्तरण नहीं करने बाबत निषेधाज्ञा जारी की गयी। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 30.10.2012 को पारित किया गया जिसमें तहसीलदार आमेट रेस्पोडेण्ट संख्या 01 भी पक्षकार रहा है। तथा आदेश की जानकारी होते हुए भी उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। स्थगन के उपरान्त यह नामान्तरण दिनांक 23.02.2015 को फैसल किया गया था जो विधि के विपरित है। इसलिए इसे निरस्त किया जावें।

निरस्त किया जावें।

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेंट को अपना पक्ष रखने हेतु जरिये सम्मन् सूचित किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 03 के अधिवक्ता उपस्थित व रेस्पोण्डेंट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपीलीय मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के विपरित है उक्त भूमि के संबंध में जिला

न्यायाधीश राजसमन्द द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त सम्पति के संबंध मे स्थगन आदेश जारी कर रखा था स्थगन आदेश प्रभावी होते हुए भी यह आदेश पारित किया गया है। जो विधि के विपरित है। प्रकरण की जानकारी स्वयं तहसीलदार को थी वह उक्त प्रकरण मे पक्षकार है फिर भी उक्त नामान्तरण स्वीकृत कर अवैद्यता की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे। अतः नामान्तरण को अपास्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया कि उक्त नामान्तरण तहसीलदार द्वारा रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2012 के अनुसरण में खातेदार कन्हैयालाल के स्थान पर भूपेन्द्रसिंह क्रेता के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। जो विधि अनुसार सही है। किसी भी न्यायालय का स्थगन उक्त दिनांक को प्रभावी नहीं था उक्त क्रेतागण उक्त वाद मे पक्षकार नहीं थे इसलिए स्थगन इनके लिए प्रभावी नहीं था। इस लिए नामान्तरण खोलने मे कोई त्रुटि कारित नहीं की है। इसलिए उक्त अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य नामान्तरण संख्या 2940 स्वीकृत दिनांक 23.02.2015 का अवलोकन किया गया। जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उक्त नामान्तरण पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर स्वीकृत कर क्रेतागण के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे अंकन करने का आदेश दिया है। उक्त प्रकरण की पत्रावली मे अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। जो वादग्रस्त भूमि के क्रेतागण की उपस्थिति मे जारी किया गया। क्रेतागण जिस प्रकरण में पक्षकार ही नहीं थे वह उक्त स्थगन से बाधित नहीं हो सकते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण के अवलोकन से यह नामान्तरण नियमानुसार पारित किया जाना प्रकट हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य होना पाया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर निरस्त की जाती हैं तथा तहसीलदार, आमेट द्वारा दिनांकः 23.02.2015 को पारित किया गया नामान्तरण संख्या 2490 को यथावत रखा जाता हैं।

(पी0सी0बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 19.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0सी0बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)